

**संकेत**

**श्रीम. प्राविधिक शिक्षा परिषद**

**अध्यक्ष प्रेषण पत्रिका**

तारीख: दिनांक: 30/08/2022

संख्या- शान्तिपरीषद सम्बद्धता/2022/7817

**अनुमोदन पत्र**

श्रीम. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/शांतिपरीषद काडमिनिस्टर और इन्स्ट्रक्टर, सई दिल्ली द्वारा दृष्टिक को 2022-23 हेतु शिक्षणार्थ राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए गए हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में अनुमोदित संस्थाओं भी सम्बद्धता विस्तार/प्रावधान्य प्रबंध प्रस्ताव बुद्धि उचित रूप में पर विचार किये हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति को बैठक में सिधे एवं निर्णय के अनुमोदन में सिद्ध संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 को सम्बद्धता द्वारा सत्र 2022-23 हेतु विस्तारित करने के अर्थों प्रावधान्य एवं उपाय उचित प्रबंध सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 1146-SHANTI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र.सं.	संस्थान का नाम	प्रावधान्य/परीक्षा/परीक्षा द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रबंध संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रबंध संख्या
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था कोड/प्रावधान्य/परीक्षा/परीक्षा द्वारा दृष्टिक को सभी शर्तें पूरी का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रेषण प्राविधिक शिक्षा परिषद परत्र 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, संशोधन विनियमवली-2016 तथा संशोधन संशोधन विनियम शांतिपरीषदों का अनुमोदन करने में तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क देना सभी इंजीनियरिंग प्रावधान्य हेतु ₹ 20,150,00/- प्रतिवर्ष, दो तर्कीय तर्कीय प्रावधान्य हेतु ₹ 45,000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो तर्कीय प्रावधान्य (दो तर्कीय तर्कीय प्रावधान्य के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राथमिक प्रावधान्य से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रावधान्य से शुल्क के सम्बन्ध में समाप्त-समाप्त पर संशोधन द्वारा निर्णय किये जाने वाले सभी प्रावधान्य प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाए प्रत्येक होगा। शिक्षा निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रेषण का पूर्णतः पालन किया जाता है, तो शिक्षा की जर्नीलका ही सम्भूत होगी।
- ✓ संस्था में अनुसृत प्रबंध प्रोफेसर द्वारा अनुमोदित करने की ही प्रेषण किया जाएगा।
- ✓ संस्था को संशोधन-समाप्त पर निर्णय शांतिपरीषद के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क देना करना होगा।
- ✓ संशोधन द्वारा प्रेषण प्रदान द्वारा निर्णय दृष्टिक निर्णय/अतिरिक्त/शांतिपरीषदों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, संपन्न, अनुसृत प्रबंध प्रोफेसर/परिषद, 3040 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3040 द्वारा प्रदान किये गये निर्णयों, विनियमों, उद्देश्यों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये सम्बद्धता हेतु।
- ✓ यदि संस्था का कोड/प्रावधान्य/परीक्षा/परीक्षा के अनुमोदन सिद्धता किया जाता है तो इस उद्देश्य में सम्बद्धता/सम्बद्धता/संस्था का होना और दृष्टिक को दो तर्कीय भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, अनुसृत प्रबंध प्रोफेसर/परिषद, प्राविधिक शिक्षा परिषद

विद्यार्थियों को अधिकाधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित सामग्री के विषय यदि कोई बात संभव किया जाता है तब छात्र एवं के संबंध में डॉ. स्वामीजी द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अतिरिक्त निर्देश किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रेषण परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रेषण सम्बन्धित सूचना सम्बन्धित एवं प्रेषण हेतु प्रायोगिक परीक्षाएँ/प्रश्नपत्रों के अनुसूचित प्रारूप एवं परीक्षा कार्यक्रम को उपलब्ध कराना होगा सम्बन्धित सूचना प्रेषण की (अनुसूचित) के माध्यम से प्रेषण प्रेषण के अधीन परीक्षा प्रेषण अनुसूचित प्रारूप नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रेषण सम्बन्धित सूचना प्रेषण हेतु समस्त-समय पर निर्देश सम्बन्धित अधिकाधिक विषयों को अनुसूचित प्रारूप सम्बन्धित होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की अकाउंट नम्बरों जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, कक्षा-संख्या, आकार, प्रायः किया जाने वाला पुस्तक, छात्रावास सुविधा आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-संबन्धित हेतु उपयुक्त साधन/समय उपलब्ध करने के साथ-साथ संस्था के सम्बन्धित अकाउंट सम्बन्धित सुविधाएँ करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुविधाएँ हेतु में कि संस्था में प्रयोगित संश्लेषित पाठ्यक्रम को प्रारूप करने हेतु विद्यार्थी समिति में समस्त उपलब्ध करने एवं अभिलेख, भूमि-संपन्न, परीक्षा, उत्तराधिकार इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संश्लेषित में प्रेषण किया जाता है और परीक्षा की प्रकृति सम्बन्धित होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रेषण किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बन्धित सम्बन्धित किन्हीं अन्य की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के प्रेषण सम्बन्धित निर्देशों के अंतर्गत यदि संस्था में भूमि, स्टाफ, परीक्षा/प्रायः, उत्तराधिकार एवं अन्य सम्बन्धित परीक्षाएँ/प्रश्नपत्रों के माध्यम/परिषद के माध्यम/सम्बन्धित सम्बन्धित नहीं करा जाता है तो संस्था को सम्बन्धित सम्बन्धित कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित कार्य का अनुसूचित न किन्हीं अन्य प्रकार की सम्बन्धित किन्हीं अन्य की स्थिति में प्रेषण/सम्बन्धित अनुसूचित/सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।

*[Signature]*  
(एक/समस्त कार्य)

कक्ष

दिनांक: 30/08/2022

पुस्तक- अधिकाधिक सम्बन्धित 2022/7818-8458

SHANTI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

*[Signature]*  
(एक/समस्त कार्य)

कक्ष

**कार्यालय,**

**अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**इतर प्रदेश लखनऊ**

संख्या :- अशिक्षा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

तारखत :- दिनांक :- 09/08/2021

**कार्यालय भाग :-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त अखिल शिक्षा परिषद, इतर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यवाही से सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अप्रैटित नई आर पाठों को सम्बद्धता पूर्व से संपादित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने/परीषद संस्था वृद्धि लक्षित अन्य सटी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निचे गठे निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उा/उा लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राप्त्वकाल एवं इसमें अखिल परीषद द्वारा हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1145-SHANTI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VILL- KURALI, BAGPAT ROAD, MEERUT

क्र.सं.	प्राप्त्वकाल का नाम	एडमिशन/परीक्षाएं/परीक्षाएं/परीक्षाएं द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	50	50
2	CIVIL ENGINEERING	50	50
3	ELECTRICAL ENGINEERING	50	50
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	50	50
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	50	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिशन/परीक्षाएं/परीक्षाएं/परीक्षाएं द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था इतर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनकारी 1992, मैनेजर विनियमनकारी-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं संदेशों का अनुपालन करेगी तथा चुनक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित चुनक (दिन वार्षिक इन्ट्री प्राप्त्वकाल) हेतु ₹0 30,50,00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कार्यवाही

पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रिका से शुल्क के सम्बन्ध में समाप्त-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले वाचमंडेय पत्रादेशों को, और तदनुसार कसबंदी किया जाता आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु बीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की न्यूनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमसूची-2000 की धारा का अनुपालन करना होता।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्य को ही प्रवेश दिया जायेगा। सैटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उक्त प्रवेश परीक्षा के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समाप्त-समय पर निर्गत वाचमंडेय के अनुसार जीवसंग एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को १०७३०७सी०टी०६०७पी०सी०आई० से जानकारी प्राप्त हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताये गये विधि/विधियों/उपविधियों/वाचमंडेयों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बताये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का कालांतर करने के विषये वाच्य होगी।
- ✓ विद्यार्थीमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि बी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में स्वयंसेवक संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी वाचमंडेय के लिए संस्था स्वयंसेवक संस्था होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दावर किया जाता है तथा दावर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपत्ति सम्बंधित संस्था को लक्ष्य होगी।
- ✓ विद्यार्थीमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सम्बन्ध द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु क्वॉटेशनिंग प्रारंभ होने के पूर्व १०७३०७आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद (आयोग से उपसम्बद्ध करता होगा अर्थात् उन्हें प्रवेश की क्वॉटेशनिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित न्यूनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिचालन हेतु उपयुक्त व्यवस्था उपसम्बद्ध बनाने के साथ रीजियल रोस्टर के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ने कि संस्था में पर्याप्त संभावित पाठ्यक्रम को चलाने जारी हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपसम्बद्ध कराने गये अभिलेख, भूमि-सूचना, कर्मीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वयंसेवक शिक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा १०७३०७सी०टी०६०७पी०सी०आई० परिषद के आल्यानुसार उपसम्बद्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता

समाप्त कर दी जाएगी।

- ✓ सम्बद्धता बताने का अनुपालन न किया जाने अथवा जारी का उल्लंघन किया जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोमर)

सचिव

पुंस्तंभ- प्राविप/परीषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHANTI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VILL- KURALL BAGPAT ROAD,  
MEERUT



(सुनील कुमार सोमर)

सचिव



